न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/210

1. हंसराज पुत्र अरविन्द,
2. सुरेन्द्र पुत्र अरविन्द, जाति गुर्जर निवासी मौहल्ला सुतरखान, मकान नम्बर 3328 नसीराबाद, जिला अजमेर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रवण लाल पुत्र प्रभात,
2. चौथमल पुत्र प्रभात (मृतक रौराने कार्यवाही)
   - 2/1. बंशीधर पुत्र चौथमल कुम्हार,
   - 2/2. मोहन लाल पुत्र चौथमल कुम्हार,
   - 2/3. हरीराम पुत्र चौथमल कुम्हार,
   - 2/4. सुरेश कुमार पुत्र चौथमल कुम्हार, समस्त जाति कुम्हार निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
   - 2/5. सरिता पुत्री चौथमल कुम्हार,
   - 2/6. हंसा पुत्री चौथमल कुम्हार,
   - 2/7. अनिता पुत्री चौथमल कुम्हार,
   - 2/8. सुनिता पुत्री चौथमल कुम्हार समस्त जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 19, डाकोतों का मौहल्ला, मनोहरपुरा जिला जयपुर।
   - 2/9. सुन्दरी पत्नी चौथमल कुम्हार निरवासी सताना, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेश कुमार पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हेमन्त दीक्षित एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 04.10.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य हक सम्बन्धी नियमित वाद संख्या 147/2012 वाद संख्या 87/2015 के खारिज होने पर भी प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जबकि हक सम्बन्धी बिन्दु का निस्तारण नियमित वाद में हो चुका था, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद खारिज हो चुका है जो दिनांक 12.07.2016 को फैसला हुआ जिसमें वादीगण श्रवणलाल, चौथमल के खातेदारी अधिकारों के अनुतोष को खारिज फरमा दिया गया था प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

P.T.O.

के तहत किसी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता, ना ही नामान्तरकरण निरस्त किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रश्नाधीन निर्णय द्वारा पारित किये है तथा नामान्तरकरण आदेश क्रमांक 29 अपास्त करने के आदेश दिये है दूसरी और विरोधाभासी आदेश 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया तो आवंटन आदेश ही खारिज हो जाता है। ऐसी स्थिति में भूमि सरकारी खाते में चली जाएगी, दूसरी और 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करके रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त भूमि के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश विरोधाभासी भी और अनियमित अवैंधानिक अविधिक भी है क्योंकि यदि आवंटन आदेश खारिज किये गये तो दुरूस्ती कैसे हो सकती है और आवंटन खारिज नही हुआ तो अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कैसे की जा सकती है जबकि रेगुलर वाद ख्खारिज हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के नाम दर्ज खातेदारी को हटाकर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही पारित किये जा सकते है, 14(4) के या धारा 136 के तहत नही और 14(4), 136 के तहत ना ही नामान्तरकरण खारिज किया जा सकता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नियम 14(4) एवं धारा 136 के तहत 40 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके तहत नामान्तरकरण खारिज करने का अनुतोष मांगा गया और अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 29 खारिज करने के आदेश पारित किया है जबकि नामान्तरकरण आदेश को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) या धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश नही किया जाता बल्कि धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय ने 40 वर्ष पुराने नामान्तरकरण आदेश को नियम 14(4) एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपास्त किये है जो अवैध एवं शून्य ही नही बल्कि अनियमितापूर्ण निर्णय, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2022 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 2/1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज प्रभात की वल्दियत भी लादू ही थी केवल मात्र जाति में अन्तर था, रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वज कुम्हार जाति रह है जिनका विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 42 मिन रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सताना पर लगातार कब्जा काश्त चला आया है वे आराजी मुतनाजा पर उक्त भूमि के नियमन से पूर्व तथा वरवक्त नियमन एवं तत्पश्चात् आज दिनांक तक निरन्तर कब्जे काश्त में चले आये है जबकि अपीलार्थी के पूर्वजों का आराजी मुतनाजा पर सम्बन्धि भूमि के नियमन से पूर्व तथा उसके पश्चात् आज दिनांक तक कतई कोई कब्जा काश्त नही रहा है, अपीलार्थी के पूर्वज अरविन्द के पिता का नाम भी प्रभात व वल्दियत लादू रही है मगर वह जाति से गुर्जर था इस

P.T.O.

राजस्व आयुक्त
जयपुर

प्रकार उनकी एक ही वल्दियत की गफलत से आवंटन/नियमन रजिस्टर में गलती से वल्दियत कुम्हार के बजाय गुर्जर दर्ज कर दी गई जिसका अपीलार्थी नाजायज एवं अनुचित लाभ उठाना चाहते है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त गफलत एवं गलती की पुष्टि इससे भी होती है कि तथाकथित प्रभात पुत्र लादू गुर्जर की मृत्यु सम्वत् 2024 अर्थात सन् 1967 में ही यानी तथाकथित नियमन से पूर्व ही हो गई थी तथा विवादित नियमन मृत व्यक्ति के हक में होने के कारण नियमन का आदेश प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा सम्बन्धित भूमि पर रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वज के कब्जे काश्त के आधार पर उक्त भूमि के नियमन सम्बन्धी रिकार्ड में जाति गुर्जर के बजाय कुम्हार दुरूस्त फरमायी जाकर उक्त भूमि का नियमन रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के हक में होने की पुष्टि करते हुये उपरोक्तानुसार जाति में दुरूस्त किया जाना विधि अनुकूल होने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 ने कथन किया है कि तथाकथित नियमन की बाबत सम्बन्धित प्रभात गुर्जर जिसकी मृत्यु सन् 1967 में ही हो गई थी उसके द्वरा आवेदन प्रस्तुत करने जैसी बात का कोई प्रश्न ही नही उठता है, इस प्रकार नियमन की कार्यवाही कपटपूर्ण तथा धोखाधड़ीपूर्ण होने से अपास्तनीय ही था। उन्होन आगे कथन किया है कि तथाकिथत नियमन जो कपटपूर्ण तथा विधि विधान के खिलाफ है उसकी बाबत नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 03.09.1975 ग्राम पंचायत जोधूला द्वारा गैर खातेदारी का स्वीकार किया गया है जो क्षेत्राधिकार विहिन होने से प्रारम्भ से ही शून्य है तथा उसके आधार पर अपीलार्थी व उसके पूर्वजों को कोई हक हकूक प्राप्त नही होते है तथा अपीलार्थी के पूर्वज के नाम जो गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक अंकित नही है एवं नामान्तरकरण मनमाने तरीके से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये तथा कब्जे सम्बन्धी कोई जॉच पड़ताल किये बिना ही मनमाने तरीके से स्वीकार किया गया है जो शुरू से ही नल एण्ड वोईड है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 ने कथन किया है कि नियमन/आवंटन के चुनौती देने हेतु कोई अवधि मियाद निर्धारित नही है तथा प्रस्तुत प्रकरण आराजी मुतनाजा का अपीलार्थी के द्वारा अन्तरण करने की चर्चाऐं चलने तथा इस बाबत एवं आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करने की धमकी के फलस्वरूप तथा इस बाबत रिकार्ड में नकलें जुटाने के बाद बिना किसी अन्य विलम्ब के प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.22 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है और अपीलार्थीगण उक्त गांव में निवास भी नही करते तथा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को दौराने बहस कथन रहा है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रभात पुत्र लादू गुर्जर की मृत्यु आवंटन/नियमन से पूर्व ही हो गई थी जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष कोई साक्ष्य सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रभात पुत्र लादू गुर्जर आवंटन/नियमन के समय जीवित होना साबित होता हो एवं उक्त वादग्रस्त आराजी की गिरदावरियॉ सम्वत् 2017 व 2019 में प्रभात पुत्र लादू कुम्हार का कब्जा साबित होता है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से केवल मात्र जाति को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।